

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक: एफ.28()परावि/प्रशा.2/सहा.वि.अधिकारी/स्था.पद./पार्ट/2022/2558 जयपुर, दिनांक: 4/7/22

:: आदेश ::

निम्नलिखित सहायक विकास अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्थान पर किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम सर्वश्री	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	राजेश कुमार	सहायक विकास अधिकारी	पं.स. सूरजगढ़ (झुंझुनू)	पं.स. पिलानी (झुंझुनू)

उक्त कार्मिक तत्काल अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत कर पालना रिपोर्ट भिजवायेगें। अन्यथा इसे राज्यादेशों की अवहेलना माना जावेगा।

उक्त को नियमानुसार यात्रा भत्ता/योगकाल देय है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झुंझुनू।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
8. आदेश में वर्णित कार्मिकों को पालनार्थ।
9. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. आदेश पत्रावली।

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव-प्रथम